

राज्य सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प. ४(३५)/नवीनीय सेक्टर प्लान/२०१५

दिनांक:- १६ MAY 2018

आदेश

जगरीय विकास विभाग एवं स्थायीत्त शासन विभाग द्वारा एक ही प्रधार ऐ शहर क्षेत्रीय संशोधनीय तकनीकी कार्यों के संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा-निर्देशों के तहत कार्यों के क्रियाव्याप्ति/अनुपालना में आ रही विसंगतियों के संबंध में माननीय मन्त्री महोदय की अध्यक्षता में आयोजित बैठक दिनांक १५.०२.२०१८ में लिये गये निर्णय के क्रम में पूर्व में जारी आदेशों में संशोधन करते हुए निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते हैं :-

१. नगर नियोजन विभाग से सम्बन्धित समस्त कार्य

मार्टर प्लान्स/जोनल डलवर्पर्मेंट प्लान्स, ले-आउट प्लान्स का तकनीकी अनुमोदन, भू-उपयोग परिवर्तन के प्रकरणों का निरतारण, नियमानुसार भवन मानचित्र प्रकरणों में तकनीकी राय इत्यादि, समस्त कार्य नगर नियोजन विभाग के माध्यम से किये जावेंगे।

२. ले-आउट प्लान:-

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुमति एवं आवंटन नियम-२०१२ के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक २१.०६.२०१२ एवम् आदेश दिनांक २१.०२.२०१८ ती पालना करते हुए नियमानुसारागति ले-आउट प्लान समिति द्वारा ही ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जावेंगे। ले-आउट प्लान अनुमोदन हेतु समिति में रखने से पूर्व क्षेत्रीय वरिष्ठ/उप नगर नियोजक की राय भी प्राप्त की जावेगी। जिन स्थानीय निकायों में नगर नियोजन सहायक/नगर नियोजक द्वारा प्रकरण का तकनीकी परीक्षा कर, अपनी टिप्पणी सहित, प्रकरण ज्ञार नियोजन कार्यालय को भिजाया जावेगा।

३. भू-उपयोग परिवर्तन:-

नगर पालिका/परिषद् स्थानीय भू-उपयोग परिवर्तन समिति में आदेश दिनांक ०८.०६.२०१५ के अनुसार नगर नियोजन विभाग के जिला/क्षेत्रीय कार्यालय के वरिष्ठ/उप नगर नियोजक/सहायक नगर नियोजक यथावत सदस्य होंगे। स्थानीय निकाय के आदेश दिनांक ०१.०३.२०१७ अनुसार स्थानीय निकाय में पदस्थापित नगर नियोजक भी समिति के अतिरिक्त सदस्य होंगे।

४. भवन मानचित्र अनुमोदन :-

राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, २००९ की धारा १९४ एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के क्रम में भवन मानचित्र स्वीकृति के प्रकरणों में नगर नियोजन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों से तकनीकी राय प्राप्त की जावेगी।

५. मार्टर प्लान में संशोधन हेतु प्रविधि में समरूपता बाबत :-

वर्तमान मार्टर प्लान्स का रिव्यू किये जाने तथा संशोधित मार्टर प्लान्स तैयार किये जाने के सम्बन्ध में चर्चा हेतु दिनांक १२.०७.२०१७ को माननीय मन्त्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवम् स्थायी शासन विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिये गये निर्णय अनुसार मार्टर प्लान्स में संशोधन हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जानी है :-

अ) मार्टर प्लान में संशोधन :- मार्टर प्लान बनाते समय सहवन से रह गई ब्रुटियों को दूर करने हेतु नगर सुधार अधिनियम की धारा ५ के तहत आपत्ति/सुझाव आमन्त्रित किये जाने के उपरान्त नगर नियोजन विभाग से परीक्षण करवाया जाकर अधिनियम की धारा ७ के तहत राज्य सरकार द्वारा संशोधन हेतु अधिसूचना जारी की जावेगी।

ब) मार्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन :- स्थानीय निकाय द्वारा मार्टर प्लान बनाने के पश्चात् मौका रिथ्ति में हुये परिवर्तनों व विकास की नई आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यावर्त विभिन्न आवेदकों द्वारा अन्य भू-उपयोग प्रस्तावित किये जाने पर भू-उपयोग परिवर्तन के नियमों के प्रावधानों के तहत प्रकरणों का परीक्षण कर सक्षम भू-उपयोग परिवर्तन समिति द्वारा गुणवत्त्व के आधार पर मार्टर प्लान में भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जावेगी।

M

स) मार्टर प्लान का पुनरावलोकन/पुनरीक्षण :- सामान्यतया: किसी भी मार्टर प्लान का उनरीक्षण हिंदू परिरिथितियों द्वारा : शहर की अनुमानित जनसंख्या के अप्रत्याशित परिवर्तन, प्रश्नावित विकास की दिशा में परिवर्तन, रेलवे लाईन, बाईपास, बड़े स्तर की शैक्षणिक/मोडेल गतिविधियाँ, वृहद औद्योगिक इकाइयाँ एवं अन्य कोई बड़ी परियोजनाएँ आदि शहर में आने या मौके की विद्यति में चापक बदलाव के कारण किया जाना है। अतः मार्टर प्लान का पुनरीक्षण करने हेतु वही सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाई जानी है जोकि नया मार्टर प्लान बनाते समय अपनाई जाती है।

उक्त आदेश सकाम स्तर से अनुमोदन पश्चात् जारी किए जा रहे हैं।

 १९१४
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम,
बगरीय विकास विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

 १९१४
(प्रवेन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव,
निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक प. 18(35)/नवीन/रेकर्डर प्लान/2015

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचकार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव महोदय, नगरीय विकास विभाग, राज०, जयपुर।
3. निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज०, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राज०, जयपुर।
5. अति० निजी सचिव, मुख्य नगर नियोजक, राज०, जयपुर।
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर को समर्त स्थानीय निकायों को निर्देश प्रदान करने हेतु।
7. सचिव, बगर विकास व्यास, समस्त।
8. विशिष्ट उप शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग को विभागीय बेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।
9. दक्षित पत्रावली।

 १९१४
(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम,
बगरीय विकास विभाग,
राजस्थान, जयपुर।